बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि ९ सितम्बर, १९६६ को पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ ।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम "४" के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा की मेज पर रखा जाना ।

श्री मुंगेरी लाल—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के द्वादश सत्र (फरवरी-अप्रील, १९६६) के शेष ११७६ तारांकित प्रश्नों में से ८७ प्रश्नों के * लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ ।

---

*उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखें ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

दोषपूर्ण नोटिफिकेशन ।

२ । **श्री खुबलाल महतो**—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि कोशी जब १९१७ ई० में पूर्णियां और सहर्षा बोर्डर से हटकर पश्चिम चली गई तब १९२६ ई० से १९३१ ई० के बीच कोशी दियारा का सर्वे हुआ और उसके बाद कोशी धार उधर नहीं गई है;

(२) क्या यह बात सही है कि कोशी लैन्ड रेस्टोरेशन ऐक्ट जो बना है उसका मंशा है कि १९३९ ई० से १९५० ई० के अन्दर जो जमीन कोशी उप्लव के चलते जमींदारों ने नीलाम करा लिया उसे किसानों को वापस करा दिया जाग;

(३) क्या यह बात सही है कि कोशी लैन्ड रेस्टोरेशन ऐक्ट को लागू करने के लिये जो नोटिफिकेशन हुआ है वह दोषपूर्ण है जिसके चलते कोशी दियारा का सर्वे जहां हुआ है वहां भी वहां कानून लागू समझा जाता है जिसकी वजह से उक्त कानून की जो मंशा है उसकी अवहेलना हुई है और वहां की जनता के साथ अन्याय हुआ है ;

है जैसे टूर करने के लिए बिहार सरकार को मुद्रा है। क्या बिहार सरकार ने इसकी उपयोगिता महसूस करके कभी भारत सरकार को लिखा ?

श्री मुंगेरी लाल—कई बार, जब भी मैं दिल्ली गया भारत सरकार से इसके बारे में मैंने कहा कि भारत सरकार का कहना है कि मुद्रा के अभाव के कारण पावरिन मंगाना संभव नहीं है इसलिए तेल पेट्रोल या डीजल से काम चलाएं।

श्री रामानन्द यादव—क्या सरकार को मालूम है कि जिन किसानों ने लेवी नहीं दी थी उनको एस० डी० ओ० ने कृषि के काम के लिए भी यह कह कर किरासन तेल नहीं दिया कि आपने लेवी नहीं दी इसलिए आपलोगों को किरासन तेल नहीं दिया जायगा ?

श्री मुंगेरी लाल—यदि माननीय सदस्य किसी खास व्यक्ति के बारे में कहेंगे, तो जाँच करा दी जायेगी।

श्री रामानन्द यादव—सारन जिले के सिसवन प्रखंड के नोनियां पट्टी ग्राम में श्री कपिलदेव दूबे को सीवान के सबडिवीजन अफसर ने ट्रैक्टर चलाने के लिए किरासन तेल नहीं दिया यह कह कर कि आपने लेवी नहीं दी थी इसलिए किरासन तेल नहीं दिया जायेगा।

श्री मुंगेरी लाल—सरकार की ओर से पदाधिकारियों को यह हिदायत थी कि जो अच्छे किसान हैं वे यदि लेवी न दें तो उनके साथ कड़ाई से पेश आया जाय।

श्री रामानन्द यादव—क्या सरकार का यह आदेश था कि कृषि के काम के लिए भी किरासन तेल नहीं दिया जायेगा ?

श्री मुंगेरी लाल—जब वे अच्छे किसान थे तो उनको लेवी देना चाहिए था।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या '३' के सम्बन्ध में।

श्री बीरचन्द पटेल—इसका उत्तर तैयार नहीं है।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह—५ महीने हो गए, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं आया है।

(इसका कोई जवाब नहीं दिया गया।)

उपाध्यक्ष—अब प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पटना :
तिथि ९ सितम्बर, १९६६।

गोविन्द मोहन मिश्र,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।